रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2011/माघ 29, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 32] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2011/MAGHA 29, 1932 [N.C.T.D. No. 280

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2011

सं. फा.11 (639) डीईआरसी/2010-11/4830.—विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रदत्त अधिकारों और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 92 में दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में डीईआरसी एतद्द्वारा ''डीईआरसी कारोबार लेन-देन विनियमन, 2010'' नामक विनियमन बनाता है।

1. आयोग से संबंधित सामान्य नियम

(क) सभी लंबित मामले जो कि आयोग के सचिव द्वारा अथवा किसी भी सदस्य अथवा अध्यक्ष द्वारा आयोग के विचारार्थ रखे जाते हैं, उन पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए आयोग एक कलेण्डर माह में कम से कम एक बैठक करेगा।

(ख) आयोग की कार्यवाही के लिए कोरम अध्यक्ष और सदस्यों का होगा:

बशर्ते एक अथवा अधिक सदस्यों के आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश से इतर अवकाश पर होने की दशा में शेष सदस्य मिलकर कोरम का गठन करेंगे। सभी बैठकें सभी सदस्यों के परामर्श से निर्धारित तिथि और समय में की जाएंगी।

(ग) सचिव ऐसी बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करेंगे जिसमें आयोग के विचारार्थ प्रत्येक मद पर सभी तरह से परिपूर्ण विस्तृत नोट शामिल होगा।

(घ) आयोग का सचिव आयोग की सभी बैठकों में उपस्थित होगा और बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष और सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त में सम्मिलित करके आयोग कार्यवृत्त को अंतिम रूप देगा।

(ङ) सचिव की अनुपस्थिति में आयोग का एक अधिकारी जो कि आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होगा, ऐसी बैठकों के मामले में सभी प्रकार के कर्त्तव्यों/जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे जो कि साधारणतया सचिव को नियत किए गए होते हैं।

(च) आयोग की बैठकों में की गई कार्यवाही को रिकार्ड करने के उद्देश्य से सचिव आयोग की एक कार्यवाही "पुस्तिका" बनाएगा जिसमें आयोग द्वारा सम्पुष्ट प्रमाणिक मूल कार्यवृत्त होगा। कार्यवाही पुस्तिका में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/निर्णयों को भी रखा जाएगा।

(छ) यह विनियमन सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सुनीता यादव, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2011

No. F. 11(639)/DERC/2010-11/4830.—In exercise of the powers conferred on it under the Electricity Act, 2003 and in pursuance to provisions contained in Section 92 of the Electricity Act, 2003, the DERC hereby makes the following Regulations, namely "DERC Regulations for Transaction of Business, 2010."

1. General Rules concerning the Commission:

(a) The Commission shall meet atleast once in a calendar month to discuss and decide on all pending matters, which are either placed by the Secretary of the Commission for consideration or which any of the Members or Chairman may raise for consideration by the Commission.

(b) The Quorum for the proceedings of the Commission shall be the Members and the Chairman :

Provided that in the event of one or more Members being on leave other than Casual Leave/Restricted Holiday, the remaining Member(s) shall constitute the quorum. All meetings shall be arranged at a date and time in consultation with all the Members.

(c) The Secretary shall prepare agenda for such meetings which includes self-contained comprehensive notes on each item scheduled to be placed before the Commission for consideration.

(d) The Secretary of the Commission shall be present in all the meetings of the Commission and shall prepare the minutes of the proceedings of such meetings, and place the minutes before the Chairman and Members of the Commission. The Commission shall finalise the minutes incorporating the views of the Chairman and Members.

(e) In the absence of Secretary, an officer of the Commission, who may be duly authorized by the Commission, shall carry out all duties/responsibilities as are generally assigned to the Secretary in respect of such meetings.

(f) For the purpose of record of the business transacted in the meetings of the Commission, the Secretary shall maintain a "Book" of proceedings of the Commission, which shall contain authenticated minutes in original as confirmed by the Commission. The decisions/views expressed by the Members shall also be maintained in the book of the proceeding.

(g) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

SUNITA YADAV, Secy.